

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला शाहपुरा

पीठासीन अधिकारी श्रीकान्त व्यास आर०ए०एस०

कदमा नम्बर - 5/2023 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

1- लालमोहम्मद पिता अलादीन खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।

बनाम

- 1- उषा देवी पत्नी नवनीत जोशी निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।
- 2- देबीलाल पिता सुवालाल निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।
- 3- छोटू पिता नन्हे खां पठान निवासी सरदारनगर तहसील बनेड़ा।
- 4- राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बनेड़ा।



-प्रार्थी

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
अधिवक्ता प्रार्थी:- ईकबाल मोहम्मद छीपा

निर्णय

दिनांक :- 24/05/2024

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज० भू० राज० अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भूअ.निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 1304 के आराजी नम्बर 3959/3383, 419/2 कुल किता 2 रकबा 1.2394 है० भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त आराजियात की भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु सम्मन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गये ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भूअ. निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील बनेड़ा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 1304 के आराजी नम्बर 3959/3383, 419/2 कुल किता 2 रकबा 1.2394 है० भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज होकर है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इस आदेश से किसी भी पक्षकार का राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा-111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम सरदारनगर पटवार हल्का सरदारनगर भूअ.निरीक्षक क्षेत्र सरदारनगर तहसील

डा जमाबन्दी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 1304 के आराजी नम्बर 3959/3383, 419/2
ल किता 2 रकबा 1.2394 है0 भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश
दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर को 500/- रूपये
कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस
तामिल करा उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावे। पत्थरगढी से पूर्व उभयपक्षकारान की
लिखित सहमति प्राप्त ली जावे। लिखित सहमति पश्चात उनकी उपस्थिति में ही पत्थरगढी की
कार्यवाही सम्पन्न की जावें अन्यथा नहीं। कमिश्नर, फीस प्रकरण मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी
करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थीगण की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी
अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम
न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड
में फेरबदल नहीं किया जावे। यदि प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य
न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नहीं किया जावे।
अतः भू0अ0निरीक्षक सरदारनगर जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण
व विपक्षीगण की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे।
पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बनेड़ा को पालना हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 24-05-2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर
सुनाया गया।



(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला शाहपुरा